निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 19/2023
दायरा दिनांकः–06.09.2023
निर्णय दिनांकः– 9.7.24

उनवान

1. चन्द्रमोहन उर्फ श्रीलाल आत्मज मूलचन्द जाति धाकड निवासी ग्राम खेजडा तहसील छबडा जिला बारां

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 9.7.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री ओमप्रकाश सुमन – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम खेजडा पटवार हल्का झरखेडी में प्रार्थी के शामलाती खातेदारी में खाता संख्या 43 नया 42 पुराना कि खसरा नम्बर 64 की रकबा 0.5564 है0 व खसरा नम्बर 7 की रकबा 0. 2403 है0 एवं खाता संख्या नया 38 पुराना 37 की खसरा नम्बर 20 की रकबा 0. 1897 है0 स्थित है जिस पर प्रार्थी का नाम चन्द्रमोहन दर्ज जमाबन्दी चला आ रहा है। प्रार्थीगण ग्रामीण प्रवेश का रहने वाला होने से उसका बोलता नाम श्रीलाल है जिस नाम से सही समस्त ग्रामवासी परिचित है और सभी प्रकार के दस्तावेज भी श्रीलाल आत्मज मूलचन्द के नाम से बने हुए है। प्रार्थी के दो नाम होने के कारण अपने नाम आराजी के सरकारी लाभ प्राप्त करने मे परेशानी का सामना करना पड रहा है। और किसी भी प्रकार से अपना नाम साबित करने में असमर्थ हो रहा है। चन्द्रमोहन आत्मज मूलचन्द और श्रीलाल पुत्र मूलचन्द एक ही व्यक्ति के नाम है इस नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम खेजडा में अन्य नही है। और ना ही प्रार्थी द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है जिससे प्रार्थी अपना नाम अन्य दस्तावेजों के अनुसार श्रीलाल करवाना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:28:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से नकल जमाबन्दी ग्राम खेजडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 43 नकल जमाबन्दी ग्राम खेजडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 38 फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मूलचन्द परिवार,राशन कार्ड,आधार कार्ड, श्रीलाल, जन आधार कार्ड जोब कार्ड पेश किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खेजडा तहसील छबडा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम चन्द्रमोहन दर्ज है प्रार्थी ग्रामीण प्रवेश का रहने वाला है जिसका बोलता नाम श्रीलाल है जिससे सभी ग्रामवासी परिचित है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में चन्द्रमोहन है तथा अन्य दस्तावेजो में श्रीलाल दर्ज है जिससे प्रार्थी को राज्य सरकार से मिलने वाले सभी लाभों से वंचित होना पड रहा है प्रार्थी का नाम चन्द्रमोहन के स्थान पर चन्द्रमोहन उर्फ श्रीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे ताकि प्रार्थी को राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ प्राप्त हो सके। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेजडा सम्वत 2073–76 खाता संख्या 43 व 38 में चन्द्रमोहन पुत्र मुलचन्द दर्ज है फोटो प्रति आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड एवं जोब कार्ड में प्रार्थी का नाम श्रीलाल पुत्र मूलचन्द दर्ज है इस संबंध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम खेजडा की जमाबन्दी में नामान्तरण संख्या 324 दिनांक 02.12.2010 मूलचन्द के विरासत में ही चन्द्रमोहन नाम दर्ज हुआ जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है प्रार्थी का अन्य दस्तावेजो में श्रीलाल पुत्र मूलचन्द दर्ज है ग्राम वासियान से जानकारी करने पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया कि मूलचन्द के दो ही पुत्र है बडे का नाम रमेश व छोटे का नाम चन्द्रमोहन उर्फ श्रीलाल है चन्द्रमोहन व श्रीलाल दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया है तहसीलदार की जॉच रिपोर्ट से यह साबित होता है कि विरासत का नामान्तरण खोलतें समय प्रार्थी का नाम चन्द्रमोहन दर्ज किया गया है चन्द्रमोहन व श्रीलाल एक ही व्यक्ति होना बताया है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार छबडा की जॉच रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खेजडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 64 रकबा 0.5564 है0 खसरा नम्बर 7 रकबा 0.2403 है0 खसरा नम्बर 20 रकबा 0.1897 है0 में दर्ज चन्द्रमोहन के स्थान चन्द्रमोहन उर्फ श्रीलाल दर्ज करने के आदेश तहीलदार छबडा को दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:28:16 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय लिखाया जाकर [illegible] सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा